संख्या :डी0 1823/सात–न्याय–3–76/2001

प्रेषक,

श्री ए0के0 श्रीवास्तव,
विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

न्याय अनुभाग–3 (नियुक्तियाँ) लखनऊः दिनांकः 5 अक्टूबर, 2001

विषय :– स्टैम्प वादों में जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) द्वारा शासन का पक्ष प्रस्तुत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निर्देश हआ है कि उपनिबंधक द्वारा सन्दर्भित अथवा लोक सेवकों द्वारा इम्पाउण्ड किये गये अथवा स्वयं के संज्ञान से प्रारम्भ किये गये स्टाम्प वादों में कलक्टर/अपर जिलाधिकारी/उप/सहायक महानिरीक्षक निबंधन/परगना मजिस्ट्रेट के न्यायालयों द्वारा निर्णीत किये जाते हैं। चूंकि ऐसे मामलों में राज्य सरकार का पक्ष उचित प्रकार से प्रस्तुत नहीं हो पाता क्योंकि इम्पाउंडिंग आफिसर की रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय लिया जाता है, अतः कमी स्टाम्प का निर्धारण एवं राजस्व की वसूली सुनिश्चित कराने में कठिनाई होती है। इसी प्रकार कलेक्टर के आदेशों के विरुद्ध आयुक्त के न्यायालय में एवं पुनः राजस्व परिषद के समक्ष ऐसे मामलों में राज्य का पक्ष उचित प्रकार से प्रस्तुत नहीं हो पाने से राजस्व की हानि होती है।

अतः प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि स्टैम्प वादों में जिले स्तर पर जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) जिला मुख्यालय द्वारा, मण्डल स्तर पर जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) मण्डल द्वारा तथा राजस्व परिषद में राजस्व परिषद के लिए नियुक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) द्वारा शासन का पक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

कृपया उक्त व्यवस्था से सभी सम्बन्धित को अवगत कराते हुए तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0अस्पष्ट
(ए0के0 श्रीवास्तव)
विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी

संख्या :डी0 1823(1) सात–न्याय–3, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, इलाहाबाद।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव कर एवं निबंधन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ समस्त सम्बन्धित को अवगत कराने हेतु समुचित निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
4. समस्त जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से।

आज्ञा से,
ह0 अस्पष्ट,
(ए0के0 श्रीवास्तव),
विशेष सचिव एवं अपर विधिपरामर्शी।

संख्या : क0नि0–5–7136/11–2001–312(177)/95 तद्दिनांकः 20.12.2001

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त स्टाम्प उत्तर प्रदेश/अपर सचिव राजस्व परिषद, इलाहाबाद।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उप/सहायक आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(टी. जार्ज जोसेफ),
प्रमुख सचिव।